भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–6833 दिनांक–15.07.2016 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–20.07.2016 में मद संख्या–14 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

14. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन कुल 09 (नौ) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–01.07.2016 से 30.06.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

14. स्वीकृत।

20.7.16
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21.7.16

संयुक्त सचिव
कोषाय
मं०स०प्रे०सं०
3522/71
22/07/16

22.7.16

48

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप-I

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः- संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन कुल 09 (नौ) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2016 से 30.06.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

पूर्व में कनीय अभियंताओं से संबंधित संविदा आधारित नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत था। जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा पथ निर्माण विभाग को सौंपी गई एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को सेवा सौंपी गयी। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा एक वर्ष की अवधि के लिए होने का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। विभाग द्वारा अवर अभियंत्रण संवर्ग भर्ती नियमावली गठन एवं रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके कारण नियमित नियुक्ति हेतु कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने में विलम्ब हो रहा है।

2. नियमित नियुक्ति में हो रहे बिलंब के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिशा-निदेश निर्गत किया गया था, जिसे पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1718 दिनांक 06.05.2010 के द्वारा उक्त संकल्प के कंडिका-2 में एक परन्तुक जोड़ा गया ''परन्तु यह विशेष परिस्थिति में कार्यहित में तथा नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त के अनुसार संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए एकरारनामा पुनः संपादित करना होगा और यह संकल्प सं0-2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जाएगा''।

3. विगत वर्ष में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-294 सह पठित ज्ञापांक-11916(भ) दिनांक-24.11.2014 द्वारा 09 (नौ) कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया था। जिनका नियोजन अवधि समाप्त हो चुका है। फलतः संविदा के आधार पर नियोजित भवन निर्माण विभाग के अधीन कुल 09 (नौ) कनीय अभियंताओं असैनिक का अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2016 से 30.06.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-20.07.2016 को मद संख्या-14 द्वारा प्रदान की गयी है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इस प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.7.16.

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक- भवन/03-स्था०ए०-22/2013...7289(1)... पटना, दिनांक- 28/7/16

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- भवन/03-स्था०ए०-22/2013...7289(2)... पटना, दिनांक- 28/7/16

प्रतिलिपिः-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- भवन/03-स्था०ए०-22/2013...7289(3)... पटना, दिनांक- 28/7/16

प्रतिलिपिः-माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- भवन/03-स्था०ए०-22/2013...7289(4)... पटना, दिनांक- 28/7/16

प्रतिलिपिः-आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

कार्या0आ0सं0-3-स्था0-ए0-22/2013.....202...../ पटना, दिनांक-28/7/2016

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-7289(4) दिनांक-28/7/16 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) का पुर्ननियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-294-सह-पठित ज्ञापांक-11916 दिनांक-24.11.2014 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विभिन्न अंचलो/प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया था जिनकी नियोजन अवधि समाप्त हो चुकी है। उन कनीय अभियंताओं का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए विस्तार करते हुए पूर्व पदस्थापित प्रमंडल में पदस्थापित किया जाता है जो निम्नरूपेण है।

क्र0	कनीय अभियंताओं का नाम	गृह जिला	पदस्थापित प्रमंडल/अंचल का नाम
1.	श्री उपेन्द्र कुमार दीक्षित	औरंगाबाद	भवन प्रमंडल मुजफ्फरपुर
2.	श्री ओम प्रकाश यादव	धनबाद	भवन प्रमंडल लखीसराय
3.	श्री अमरेन्द्र प्रसाद	गया	भवन प्रमंडल मोतीहारी
4.	श्री अशोक कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल अररिया
5.	श्री राजीव रंजन सिंह	नालंदा	भवन प्रमंडल सहरसा
6.	श्री नारद राम	पूर्वी चम्पारण	भवन प्रमंडल शिवहर
7.	श्री राजू कुमार	रोहतास	भवन प्रमंडल सीतामढ़ी
8.	श्री रामाशीष भारती	लखीसराय	भवन प्रमंडल बेतिया
9.	श्रीमती प्रभावती कुमारी	पटना	भवन प्रमंडल गया

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध एवं अधिकतम एक वर्षो के लिए है।
2. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. नियोजित कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) प्रतिमाह देय होगी।
5. उक्त आदेश के आलोक में योगदान नही करने वाले कनीय अभियंता (संविदा) पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
6. पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्त्ताओं की जाँच संबंधित संस्थान/प्राधिकार से कराये जाने पर यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित कर्मी का नियोजन तत्क्षण समाप्त कर दी जायगी। साथ ही भुगतान की गई पारिश्रमिक

27.7.16

की राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायगी। साथ ही वैधानिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

10. कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) मुख्यशीर्ष-उपशीर्ष/ लघुशीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।

11. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

12. पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापित कार्यालयों/प्रमंडलों में योगदान नहीं करने पर नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंताओं से एकरारनामा कराने के पश्चात ही उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

28.7.16.

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक- 28/7/2016

ज्ञापांक- 4290 (1)

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक-28/7/2016

ज्ञापांक- 4290 (2)

प्रतिलिपिः- माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी संबंधित संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.7.16.

सरकार के उप सचिव।